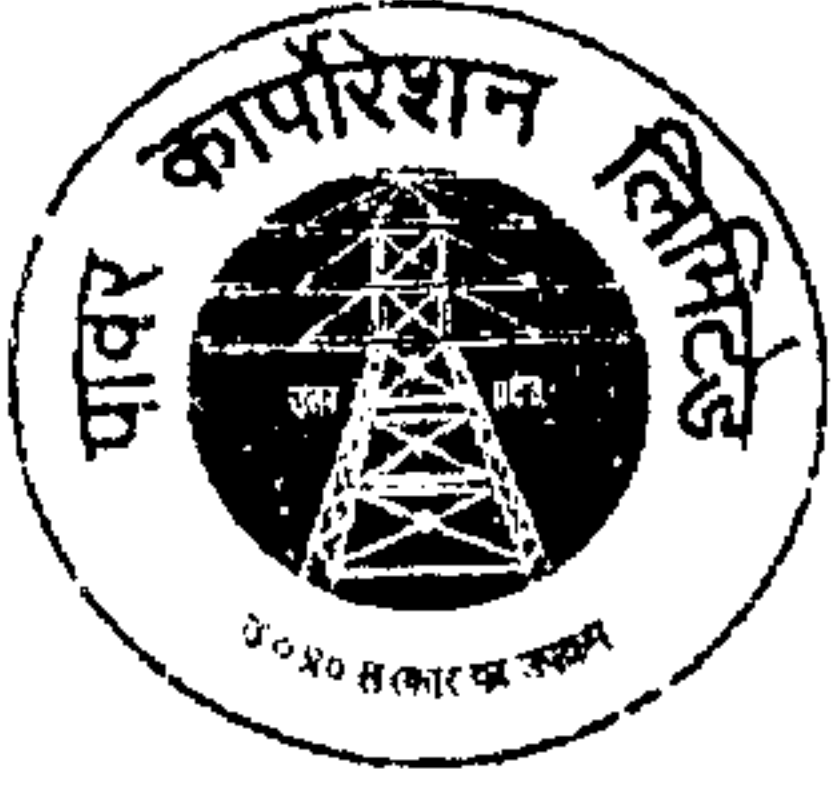




उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
14-अशोक मार्ग शक्ति भवन, लखनऊ

पत्र सं०- 279 -काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/12-18-काविनी/91

दिनांक 13 अप्रैल, 2012

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में तत्काल प्रभाव से मुख्य अभियन्ता (नियोजन) एवं उनसे सम्बन्धित इकाईयों को निदेशक (कारपोरेट प्लानिंग) के नियंत्रणाधीन किया जाता है।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सं०- 279 (I) काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
5. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के निजी सचिव।
6. प्रबन्ध निदेशक- मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा/केस्को, कानपुर/ट्रांस्को, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता-स्तर-I/II, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
8. अपर सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/(अराजपत्रित)/समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य/महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
10. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
11. समस्त अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० (मुख्यालय), शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से
दा. अ. शर्मा
(वी० के० शर्मा)
अपर सचिव (प्रथम)